न्यायालय सहायक कलक्टर राजगढ़ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी - पंकज गढ़वाल आर.ऐ.अस.

वाद सं. 13/2021

निर्णय दिनांक 12.02.2021

कृष्णादेवी पत्नि महावीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू

वादीनी

बनाम

1. महावीर पुत्र बिंझाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू

2.रामेश्वर पुत्र बिंझाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू

3.भतेरी पत्नि कृष्णकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू

4.रवि पुत्र कृष्णकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू

5.रोहिताष पुत्र कृष्णकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू

6.जगदीश पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू

7.बलबीर पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू

8.बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सिधमुख तहसील सिधमुख जिला चूरू जरिये शाखा प्रबंधक

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

9. श्रीमान तहसीलदार साहब सिधमुख जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, विभाजन व चिरस्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थिति - 1.श्री चन्द्रभान कुलरिया एडवोकेट - वास्ते वादी

2.रामसिंह बेरवाल एडवोकेट - वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 से 7

3.पैरोकार सरकार - राज्य की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 आर.टी. एक्ट इस आशय का पैश किया कि कृषि भूमि साबिका खसरा नं. 1253 तादादी 32-06 बीघा, खसरा नं. 1287 तादादी 3-13 बीघा कुल तादादी 35-19 बीघा रोही सिधमुख तहसील राजगढ़ जिला चूरू जिसके वर्तमान खसरा नं. 2047 तादादी 2.2800 हैक्टेयर, खसरा नं. 2048 तादादी 2.2800 हैक्टेयर, खसरा नं. 2049 तादादी 1.3500 हैक्टेयर, खसरा नं. 2050 तादादी 2.2600 हैक्टेयर, खसरा नं. 2138 तादादी 0.9200 हैक्टेयर रोही सिधमुख तहसील राजगढ़ जिला चूरू बने हैं यहि विवादित कृषि भूमि है, विवादित कृषि भूमि गत खसरा नं. 1253 तादादी 32-06 बीघा, खसरा नं. 1287 तादादी 3-13 बीघा कुल तादादी 35-19 बीघा रोही सिधमुख प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के ससुर व दादा तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के पिता रामकुमार व गोविन्दराम पुत्र बिंझाराम के ब.ही.ब. संयुक्त खातेदारी की भूमि थी जो आपस में सगे भाई थे उक्त सह खातेदारान ने करीब 42 वर्ष पुर्व विवादित कृषि भूमि का मोखिक पारिवारिक समझोता के द्वारा बंटवारा कर लिया था जिसके मुताबिक़ गत खसरा संख्या 1287 तादादी 3-13 बीघा व इससे चिपती पश्चिमी तरफ की खसरा संख्या 1253 मी. तादादी 5-07 बीघा उक्त गोविन्दराम के हक हिस्सा व कब्ज़ा काश्त में, गोविन्दराम से चिपती पश्चिमी तरफ की खसरा संख्या 1253 मी. तादादी 8-19 बीघा रामेश्वर के हक हिस्सा व कब्ज़ा काश्त में, रामेश्वर से चिपती उत्तरी तरफ की खसरा संख्या 1253 मी. तादादी 9-00 बीघा रामकुमार के हक हिस्सा व कब्ज़ा काश्त में व रामकुमार के पूर्वी तरफ की चिपती खसरा संख्या 1253 मी. तादादी 9-00 बीघा महावीर के हक हिस्सा व कब्ज़ा काश्त में रखी गई थी व वर वक्त पारिवारिक समझोता ही मोके पर हिस्सेदार

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

काबिज हो गये थे तथा मुताबिक़ मोखिक पारिवारिक समझोता सह खातेदारान ने तत्कालीन पटवारी हल्का से विभाजन प्रस्ताव का नक्शा तैयार करवाकर दिनांक 31.12.1978 को आपसी सहमति से तहसीलदार साहब राजगढ़ से खाता विभाजन करवाया जिस खाता विभाजन के अनुसार ही जमाबंदी में अंकन हो गया मगर पटवारी हल्का ने विभाजन प्रस्ताव के नक्शा के अनुसार राजस्व नक्शा में भी तरमीम नहीं किया व वर्तमान पैमाइश के कर्मचारियों अधिकारियों ने बिना विभाजन प्रस्ताव का नक्शा देखे व बिना खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये विवादित कृषि भूमि के नक्शा में मनमाना तरमीम बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बाला बाला कर दिया जिसकी उक्त खातेदारान को कोई जानकारी नहीं रही । वर्तमान पैमाइश द्वारा नक्शा व जमाबंदी पेमुद करने के बाद वादिनी ने उक्त गोविन्दराम खातेदार के खातेदारी की व मोके पर कब्ज़ा काश्त की समस्त भूमि जरिये पंजीकृत बैनामा करीब 11 वर्ष पूर्व खरीद करली व विक्रेता के पद चिन्हों पर उसके कब्जे काश्त की भूमि पर कब्ज़ा प्राप्त कर लिया व तब से आज तक अपनी खरीद शुदा विवादित कृषि भूमि पर विक्रेता गोविन्दराम के अनुसार ही काबिज चली आ रही है अब प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को पैमाइश हाल की उक्त खिलाफ कानून कार्यवाही का ज्ञान हो जाने से उनके मन में लालच आ गया है व प्रतिवादीगण ने वादिनी को कहा कि वह राजस्व रिकार्ड के नक्शा से भिन्न स्थान पर काबिज है व मुताबिक़ राजस्व रिकार्ड के नक्शा विवादित भूमि पर काबिज होने अन्यथा जबरन कब्ज़ा करेंगे की धमकी दी तब वादिनी जो अनपढ़ गृहणी है ने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, नक्शा वर्तमान, पूर्व के विभाजन के विभाजन प्रस्ताव के नक्शा, मिलान क्षेत्रफल आदि की प्रमाणित प्रतिलिपियां निकलवाई व अपने वकील को दिखाई तब वादिनी को सर्वप्रथम पैमाइश हाल की उक्त खिलाफ कार्यवाही का ज्ञान हुआ है, पैमाइश हाल की उक्त खिलाफ कानून कार्यवाही से वादिनी की सख्त हक तलाफी हुई है तथा वादिनी पुर्व के मोखिक पारिवारिक समझोता व दिनांक 31.12.1978 के विभाजन व विभाजन प्रस्ताव के नक्शा तथा मोके पर कब्ज़ा काश्त के अनुसार विवादित कृषि भूमि हाल खसरा संख्या 2138 तादादी 0.9200 हैक्टयर, खसरा संख्या 2048 मी. तदादी 1.3500 हैक्टेयर पूर्वी तरफ की, वादिनी से पश्चिम में खसरा संख्या 2048 मी. की 0.9300 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2049 तादादी 1.3300 हैक्टेयर प्रतिवादी रामेश्वर के हक हिस्सा की व खसरा संख्या 2050 तादादी 2.2800 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के ब.हिब. 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के ब.ही.ब. 2/3 हिस्सा हक हिस्सा की व खसरा संख्या 2047 तादादी 2.2600 हैक्टेयर प्रतिवादी महावीर के हक हिस्सा की मुताबिक़ अनेक्चर - क घोषित करवाकर तदनुसार विवादित कृषि भूमि का विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

अमल दरामद करवाने की अधिकारिणी है जिसके लिये यह वाद घोषणात्मक व विभाजन तथा शुदी लाया जा रहा है, प्रतिवादीसंख्या 1 से 7 वादिनी को उसके कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा हैं व वादिनी को विवादित कृषि भूमि में उसके हक हिस्सा की भूमि से वंचित करने की नियत से विवादित कृषि भूमि को किसी अन्य ताकतवर व्यक्ति को ओने पोने दामों में विक्रय कर ताकत के बल पर कब्ज़ा करवाने की फिराक में हैं, यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त बुरे मन्सुबे में सफल हो जाते हैं तो वादिनी को अपुर्तीय क्षति होगी जिसकी कीमत मुद्रा में नहीं आंकी जा सकेगी व दिवानी तथा फोजदारी मुकदमात भी बढ़ेंगे जिस कारण वादिनी प्रतिवादीगण के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है, वादीनी ने प्रतिवादीगण को काफी कहा व कहलवाया कि वे विवादित कृषि भूमि का खसरा संख्या व रकबा तथा नक्शा अनेक्चर – क के अनुसार स्वीकार कर पक्षकारान का हक हिस्सा घोषित करवाकर विभाजन करवा लेवें व विवादित कृषि भूमि में मुताबिक़ मोखिक पारिवारिक समझोता व पुर्व के राजस्व रिकार्ड के विभाजन तथा मोके पर कब्ज़ा काश्त के अनुसार वादिनी के हक हिस्सा में किसी प्रकार से हस्तांतरित न करें व मोका की यथास्थिति बनाये रखें मगर प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने ऐसा मानने से इन्कार कर दिया जिस कारण इसी दिन से वादीनी को वाद कारण हासिल है वादाधार विवादित कृषि भूमि का खाता पुर्व में संयुक्त रहे होने व मोखिक पारिवारिक समझोता व तदनुसार राजस्व रिकार्ड में विभाजन से हासिल है लिहाजा पुर्व के मोखिक पारिवारिक समझोता व दिनांक 31.12.1978 के विभाजन व विभाजन प्रस्ताव के नक्शा तथा मोके पर कब्ज़ा काश्त के अनुसार विवादित कृषि भूमि में वादिनी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के हकों की घोषणा व तदनुसार विभाजन किया जावे व प्रतिवादीगण के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की जावे आदि आदी पैश किया, प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने हाजिर अदालत आकर वादिनी के साथ राजीनामा पेश किया, प्रतिवादी संख्या 8 के हित वाद में प्रभावित नहीं होते हैं व पैरोकार राज ने वाद में कोई राज्य हित नही होना जाहिर किया है, वाद पत्र का कोई खंडन पैश नहीं हुआ है अतः साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी ने वाद पत्र के समर्थन में पूर्व में वाद गत भूमि शामिल खाता की रही होने की जमाबंदी संवत 2029-32, पूर्व के खाता विभाजन के निर्णय, विभाजन प्रस्ताव के नक्शा व तब से आज तक की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ पैश की है जिससे साबित होता है कि पुर्व के विभाजन प्रस्ताव के नक्शा के अनुसार राजस्व रिकार्ड के नक्शा में तरमीम करते समय

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

वाद में दर्ज अनुसार लिपिकीय भूल हुई है तथा वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व प्रस्तुत राजीनामा से वादी के वाद की पुष्टि होती है जिस कारण वादी का यह वाद आंशिक तोर पर घोषणा व विभाजन के अनुतोष की हद तक स्वीकार क़र डिक्री किये जाने योग्य है ।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादिनी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि घोषित किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि हाल खसरा संख्या 2138 तादादी 0.9200 हैक्टयर, खसरा संख्या 2048 मी. तदादी 1.3500 हैक्टेयर पूर्वी तरफ की वादिनी के हक हिस्सा की, वादिनी से पश्चिम में खसरा संख्या 2048 मी. की 0.9300 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2049 तादादी 1.3300 हैक्टेयर प्रतिवादी रामेश्वर के हक हिस्सा की व खसरा संख्या 2050 तादादी 2.2800 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के ब.हिब. 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के ब.ही.ब. 2/3 हिस्सा हक हिस्सा की व खसरा संख्या 2047 तादादी 2.2600 हैक्टेयर प्रतिवादी महावीर के हक हिस्सा की मुताबिक़ अनेक्चर - क रहेगी व इसी अनुसार खसरा संख्या व रकबा कायम कर अनेक्चर – क के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं । सम्बंधित खातेदार के हक हिस्सा की भूमि उसके ऋणी बैंक के रहन बदस्तूर रहेगी । खर्चा वाद पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे । राजीनामा व अनेक्चार - क निर्णय व डिक्री का भाग रहेंगे । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)